

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p><b>हिमांशु बिष्ट</b></p> <p><b>बनाम</b></p> <p><b>लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, उत्तर)</b></p> <p>सू.अ.अपील संख्या-ऑनलाईन अपील संख्या 353545296646807</p>	<p>न. व तारीख अदालत जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>11/05/26</p>	<p>अपीलार्थी हिमांशु बिष्ट निवासी रामू की बावरी भियाली बेरा मंडोर, वार्ड नम्बर 78, उत्तर, जोधपुर द्वारा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, उत्तर) द्वारा को सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2026 मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में EWS श्रेणी लागू न होने संबंधी सूचना के लिए प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील में रेस्पों. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, उत्तर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेस्पों. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पों. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, उत्तर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, उत्तर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p>(आलोक रंजन) जिला कलेक्टर, जोधपुर</p> <p>के नोटि</p> <p>पत्रा</p>	

**Signature valid**

Digitally signed by Alok Ranjan  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2026.05.11 16:34:26 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
22133329  
M e-Sign